<u>वेब परिचालन</u>
<u>संसदीय मामला</u>

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पीक्यू/6(131)2017/कैलेंडर/6258-60 दिनांक: 04.07.2017

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय, अंचल एवं पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का. एवं मुख्यालय के प्रभारी

विषय : 16 वीं लोकसभा के बारहवें सत्र तथा राज्य सभा के 243वें सत्र (मानसून सत्र, 2017) के दौरान प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठकें तथा दिनों के आबंटन संबंधी कैलेंडर ।

महोदय,

लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि 16वीं लोकसभा का बारहवां सत्र तथा राज्यसभा का 243वां सत्र **(संसद का मानसून सत्र, 2017) 17 जुलाई, 2017 (सोमवार) से आरंभ हो रहा है तथा यह सत्र 11 अगस्त, 2017 (शुक्रवार) तक जारी रहेगा ।** प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को आबंटित दिनों का विवरण इस प्रकार है :-

प्रश्न

विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आबंटित संसदीय प्रश्न के दिन	<u>सोमवार</u> 17 जुलाई, 2017 24 एवं 31 जुलाई, 2017 *7 अगस्त, 2017	<u>बुधवार</u> 19 एवं 26 जुलाई, 2017 02 एवं 09 अगस्त, 2017
निजी सदस्यों के संकल्प के लिए आबंटित दिन	<u>शुक्रवार</u> 28 जुलाई, 2017 11 अगस्त, 2017	<u>शुक्रवार</u> 28 जुलाई, 2017 11 अगस्त, 2017
निजी सदस्यों के विधेयक के लिए आबंटित दिन	<u>शुक्रवार</u> 21 जुलाई, 2017 04 अगस्त, 2017	<u>शुक्रवार</u> 21 जुलाई, 2017 04 अगस्त, 2017

***7 अगस्त, 2017 सोमवार, कोई बैठक नहीं - रक्षाबंधन (अवकाश)**

2. इस परिप्रेक्ष्य में, यह अनुरोध किया जाता है कि संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अपेक्षित सूचना / सामग्री को rc.pqcell@epfindia.gov.in पर **ई-मेल के माध्यम से** एवं फैक्स के द्वारा **011-26100314** पर भी भेजा जाए । साथ ही, यह सुझाव भी दिया जाता है कि मामले में किसी अन्य प्रकार की अतिरिक्त सूचना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट को **दैनिक आधार पर देखा** जाए । **क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि हार्ड कॉपी एवं ई-मेल के उत्तर एक समान हों ।**

3. पूर्व में यह देखा गया है कि कभी - कभी ससंदीय प्रश्न बहुत ही अल्प सूचना पर प्राप्त होते हैं । अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/स्टाफ उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहें ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(सुब्रत कुमार)
क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-I (संसदीय प्रश्न)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) - वेब पर अपलोड करने हेतु ।
2. मुख्यालय के सभी अनुभाग ।